


प्रकरण संख्या 109/2025
अनवान गुरतेज सिंह वगैरा बनाम प्यारासिंह वगैरा

6-3-26



पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। मुताबिक राजीनामा चक 3 एमएमके प.न. 155/200 मु.न. 40 किला नं. 5/0.003 है। मोड़ प.न. 156/200 मु.न. 39 किला नम्बर 1/0.019 है। किला नम्बर 2/0.019 है। किला नम्बर 3/0.003 मोड़ किला नम्बर 23 में प्रवेश हेतु प.न. 156/199 मु.न. 22 के किला नम्बर 23/0.010 है। आधा बीघा तक किला नम्बर 22 के चिपते-चिपते उसके मोड़ लग कर इसी किला नम्बर 23/0.019 है। मे पश्चिम से पूर्व की ओर किला नम्बर 24/0.019 है। मोड़ लग कर किला नम्बर 24/0.0010 है। आधा बीघा रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नम्बर 25/0.019 है। रास्ता मु. न. 39 की प.लाईन के चिपते चिपते पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प.न. 157/199 मु.न. 23 के किला नं. 21 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत कर गै.मु.दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं और चक 3 एमएमके खाता संख्या 82/27 में प्रार्थीगण का 0.041 है। हि. कम कर खातेदार रामसिंह पुत्र बग्गु सिंह का 0.041 है। हि. बढ़ाया जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य हुआ राजीनामा आदेश के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(जय कौशिक)
उपपरवण्ड अधिवक्ता,
संगरिया